

अध्यादेश संख्या 3

पाठ्य समिति (बीओएस) का गठन और इसके सदस्यों की पदावधि और शर्तें

1. प्रत्येक विभाग की एक पाठ्य समिति (बीओएस) होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :
 - (क) विभागाध्यक्ष, जो इसका अध्यक्ष एवं संयोजक होगा।
 - (ख) संबंधित स्कूल के अधिष्ठाता अथवा उनके / उनकी नामिति।
 - (ग) विभाग / केंद्र के सभी प्रोफेसर (पदेन सदस्यगण)
 - (घ) वरिष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम आधार पर विभाग का एक एसोसिएट प्रोफेसर।
 - (ङ.) वरिष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम आधार पर एक सहायक प्रोफेसर।
 - च) कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों में से संबद्ध तथा सजातीय विषयों के दो अध्यापक।
 - छ) कुलपति द्वारा नामित किए जाने वाले दो ऐसे विषय विशेषज्ञ जो इस विश्वविद्यालय की सेवा में न हों।
2. पदेन सदस्यों अर्थात् विभागाध्यक्ष और विभाग के प्रोफेसरों को छोड़कर सदस्यों की पदावधि तीन वर्षों की होगी।
 3. विश्वविद्यालय विभाग / केंद्र के अध्यापक की सदस्यता समाप्त हो जाएगी यदि वह संबंधित विभाग / केंद्र के अध्यापक नहीं रहता है।
 4. शैक्षणिक परिषद् के संपूर्ण नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन पाठ्य समिति (बीओएस)के कार्य होंगे :
 - (क) विभिन्न उपाधियों के लिए शोध हेतु विषय और शोध उपाधि की अन्य आवश्यकताओं के लिए अनुमोदन प्रदान करना।
 - (ख) संबंधित स्कूल बोर्ड को निम्नलिखित की संस्तुति करना :-
 - I. शोध उपाधि को छोड़कर अध्ययन पाठ्यक्रम और परीक्षाओं की नियुक्ति।
 - II. शोध के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति।
 - III. शिक्षण और शोध के स्तर में सुधार के लिए उपाय।
 - (ग) यह सुनिश्चित करना कि अध्यापकों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न पाठ्यक्रमों के पाठ्यचर्या और पाठ्य विवरण की आवधिक समीक्षा हो तथा उसे निरंतर संशोधित और अद्यतन किया जाता रहे।
 - (घ) शैक्षणिक परिषद्, स्कूल बोर्ड या कुलपति द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का निष्पादन।
5. विभागाध्यक्ष / केंद्र प्रमुख पाठ्य-समिति की बैठक को बुलाएगा तथा इसकी अध्यक्षता करेगा।
 6. यदि विभागाध्यक्ष / केंद्र प्रमुख किसी बैठक में उपस्थित नहीं है तो उपस्थित वरिष्ठतम सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।
 7. सामान्यतः पाठ्य समिति (बीओएस) की वर्ष में कम से कम दो बैठकें होंगी और ये बैठकें कुलपति के यथानिर्देश अनुसार होंगी।
 8. विशेष बैठक को छोड़कर पाठ्य समिति (बीओएस) की बैठक की नोटिस बैठक के लिए तय की गई तिथि से सामान्यतः 10 दिन पहले जारी की जाएगी। समिति की बैठकों के संचालन संबंधी नियमों को विनियमों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
 9. पाठ्य समिति (बीओएस) की बैठकों के लिए कोरम पाठ्य समिति (बीओएस) के सदस्यों का 50 प्रतिशत होगा जिसमें कम से कम एक बाह्य विशेषज्ञ शामिल हो।

10. विशेष बैठकों को अध्यक्ष द्वारा स्वयं पहल कर अथवा पाठ्य समिति (बीओएस)के सदस्यों के कम से कम 50 प्रतिशत होगा।
11. सदस्यों के निवेदन पर बुलाई गई विशेष बैठकों के मामले में कार्यसूची में अधिसूचित मदों के अलावा किसी अन्य मद पर चर्चा नहीं होगी और उन सभी सदस्यों, जिनके निवेदन पर विशेष बैठक बुलाई गई है, का उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
12. कुलपति की यदि राय हो कि किसी मद पर विचार के लिए पाठ्य-समिति की बैठक बुलाना आवश्यक अथवा समीचीन नहीं है और यदि उनके विचार में किसी मामले का निपटारा पाठ्य समिति (बीओएस) के सदस्यों को परिचालन के माध्यम से हो सकता है, तो इस संदर्भ में वे आवश्यक निर्देश जारी कर सकते हैं।

ORDINANCE NO: 3

CONSTITUTION OF THE BOARD OF STUDIES AND TERMS OF OFFICE OF ITS MEMBERS

1. Each Department shall have a Board of Studies comprising the following members:
 - a) Head of the Department, who shall be the Chairman & Convener
 - b) Dean of the School concerned or his/her nominee
 - c) All the Professors of the Department / Centre (ex-officio members)
 - d) One Associate Professor of the Department by rotation in order of seniority
 - e) One Assistant Professor of the Department by rotation in order of seniority
 - f) Two teachers, from amongst the faculty members of the University belonging to the allied and cognate disciplines, nominated by the Vice-Chancellor.
 - g) Two subject experts, not in the service of the university, to be nominated by the Vice-Chancellor.
2. The term of office of the members, other than the ex-officio members i.e. the Head of the Department and the Professors of the department, shall be three years.
3. A Teacher of the University Department / Centre shall cease to be a member if he ceases to be a teacher of the concerned Department / Centre.
4. Subject to the overall control and supervision of the Academic Council, the functions of the Board of Studies shall be:
 - a) To approve subject for research for various degree and the other requirements of research degree.
 - b) To recommend to the concerned School Board:
 - i) Courses of studies and appointment of examiners but excluding research degree
 - ii) Appointment of supervisors for research.
 - iii) Measures for the improvement of the standard of teaching and research.
 - c) To ensure that the curricula and syllabi of various courses offered by the teachers in the Departments are periodically reviewed and continuously revised and updated.

- d) To perform such other functions as may be assigned to it by the Academic Council, School Board or the Vice-Chancellor.
5. The Head of the Department / Centre shall convene and preside over the meeting of Board of Studies.
 6. In case Head of the Department / Centre is not present at any meeting the senior-most member present shall act as the Chairman for the meeting.
 7. Board of Studies shall ordinarily meet at least twice a year and on such occasions as may be directed by the Vice-Chancellor.
 8. Notice for a meeting of the Board of Studies, other than a special meeting, shall ordinarily be issued at least 10 days before the day fixed for the meeting. The rules of conduct of the meetings of the Board shall be prescribed by the regulations.
 9. The quorum for the meetings of the Board of Studies shall be 50% of the members of the Board of Studies which shall include at least one outside expert.
 10. Special meetings may be called by the Chairman at his/her own initiative or on a written request by at least 50% of the members of the Board of Studies.
 11. In case of special meetings called at the request of the members, no item other than those notified in the Agenda shall be discussed and that the presence of all members, at whose request the Special meeting was called, will be essential.
 12. If in the opinion of the Vice-Chancellor, it is not necessary or expedient to convene a meeting of the Board of Studies to consider any item and if he considers that a matter could be disposed off by circulation among the members of Board of Studies he may issue necessary instructions to that effect.